तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.22	पत्रावली पेश हुई। वादीनीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। वादीनीगण के वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि वादीनीगण उनके संपर्क में नहीं है। अतः वे जरिये विद्रो वाद, नया वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए, खारिज करवाना चाहते है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी संख्या 1 श्रीमती कुवटी देवी पूर्व मे इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुकी है कि वह अनपढ एवं ग्रामीण महिला है और प्रस्तुत वाद पत्र पर उसके अंगुष्ठ निशान, बंटवारे का कहकर करवाये गये है। अतः वे वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहती है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद वादीगण को बिना तथ्यों की जानकारी से अवगत करवाये दर्ज करवाया गया है। अतः नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में अपना जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है, किन्तु काउण्टर क्लेम मे उनके द्वारा कोई नया अनुतोष नहीं चाहा गया है, बल्कि वाद को कानूनी आधार पर खारिज किये जाने का निवेदन किया है। लिहाजा वादीनीगण [illegible] जरिये विद्रो खारिज किया [illegible] आदेश सुनाया गया। [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर। (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:38:55 IST
Reason: SelfAttested